दिनांक 24 मई, 2011 को 11 बजे होटल एट्रियम, फरीदाबाद, हरियाणा में आयोजित एफएसएसएआई की केंद्रीय सलाहकार समिति की चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त

एफएसएसएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और केंद्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष श्री वी.एन. गौड़ ने केंद्रीय सलाहकार समिति की चतुर्थ बैठक में सभी सदस्यों और उनके प्रतिनिधियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बैठक में शामिल होने वाले प्रतिभागियों की सूची **अनुलग्नक–1** में दी गई है।

अध्यक्ष ने अपने उदघाटन भाषण में उल्लेख किया कि अधिकतर राज्यों ने अब खाद्य सुरक्षा आयुक्त नियुक्त कर दिए है। यद्यपि अधिनियम की सारी धाराओं को अधिसूचित किया जा चुका है, राज्य नियमों के अभाव में अन्य नियुक्तियां नहीं कर सके हैं। अब, जबकि दिनांक 5 मई, 2011 को एफएसएस नियम अधिसूचित कर दिए गए हैं, हम बहुप्रतीक्षित खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 को कार्यान्वित करने से केवल दो कदम दूर हैं। पीएफए अधिनियम तथा अन्य आदेशों के औपचारिक निरसन के साथ अधिनियम का कार्यान्वयन नियमों की अधिसूचनाा की तारीख से 3 माह के भीतर शुरू हो जाएगा। इस बीच विनियम भी अधिसूचित कर दिए जाएंगे। भाषण के मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:

- ✓ औषधि और खाद्य विनियम संबंधी कार्य–समूह योजना आयोग द्वारा गठित किया गया है और एफएसएस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु निधि आवश्यकताओं का आकलन किया जा रहा है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश भी अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए पुष्टियों के साथ निधि आवश्यकताओं के आकलन के लिए कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में, खाद्य सुरक्षा के साथ जन स्वास्थ्य के संबंध के आकलन और घटिया स्वास्थ्य एवं स्वच्छता दशाओं के कारण स्वास्थ्य देखभाल पर होनेवाली हानियों, कार्य की हानियों, खुशहाली सूचकांक इत्यादि की दृष्टि से समाज को होने वाली आर्थिक हानियों की मात्रा का आकलन करने के लिए राज्यों द्वारा कार्रवाई किए जाने की जरूरत है।
- ✓ भारत में खाद्य सुरक्षा से संबंधित आर्थिक हानियों के आंकड़े या तो उपलब्ध नहीं है और यदि उपलब्ध हैं, तो ये विभिन्न अभिकरणों में बिखरे पड़े हैं। एफएसएसएआई इस संबंध में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता से बातचीत कर रहा है। राज्य खाद्य सुरक्षा के महत्व को तथा इस बात को समझने के लिए कि यह जीडीपी में कैसे योगदान दे सकता है, राज्यों में निर्णयकर्ताओं को राजी करने के लिए 'खाद्य सुरक्षा संबंधी आर्थिक हानियों' से संबंधित परियोजनाएं शुरू करने पर विचार कर सकते हैं।
- ✓ एफएसएसएआई ने प्रमुख पत्तनों और वायुपत्तनों पर खाद्य आयात स्वीकृति प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया है और आयात गतिविधियों को ऑनलाइन करने के लिए एमआईएस सिस्टम

पहले ही विकसित कर लिया गया है। जेएनपीटी में हाल में हुई दुर्घटना पर दुख जताते हुए, सीईओ ने पत्तनों पर गतिविधियों में शामिल जोखिमों पर ध्यान दिया और इस बात पर विचार किया कि आउटसोर्स्ड स्टाफ के लिए भी बीमा/क्षतिपूर्ति हेतु प्रावधान मौजूद होने चाहिए।

- ✓ अपेक्षित आंकड़ों को एकत्र करने, आवेदनों को संसाधित करने, निरीक्षणों और निगरानियों को करने के लिए केंद्रीय स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी आधारित लाइसेंसिंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है। एनआईसी की सहायता से इस बात की जांच की जा सकती है कि क्या इसी सॉफ्टवेयर को राज्यों द्वारा उपयोग के लिए उपयुक्त संशोधनों के साथ अनुकूलित किया जा सकता है।
- ✓ जागरूकता पैदा करना और हितधारकों के साथ संप्रेषण कार्यान्वयन में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा संदेशों के साथ पहले ही शुरूआत कर दी है। एफएसएसएआई विशिष्ट खाद्य सुरक्षा संदेशों के प्रसार और नए अधिनियम के प्रभाव के लिए उपभोक्ता मामला विभाग के साथ बातचीत कर रहा है। अधिकाधिक जनता तक पहुंच बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा संदेशों को देने वाले जनमुखी लघुगीतों और मुद्रित सामग्रियों की जरूरत पर भी विचार किया गया।
- ✓ आयातित खाद्य वस्तुओं के नमूनों के विश्लेषण के लिए एनएबीएल द्वारा प्रत्यायित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को पहले ही अधिकृत किया जा चुका है। अभियोजन के आधार के रूप में घरेलू प्रवर्तन हेतु एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशालाओं की सेवाओं के उपयोग की व्यवहार्यता और प्रणाली की विशेषकर निजी प्रयोगशालाओं की रिपोर्ट की दृष्टि से जांच किए जाने की जरूरत है। एफएसएसएआई ने इस कठिनाई को दूर करने के लिए प्रत्येक अभिहित अधिकारी के साथ एक खाद्य विश्लेषक को तैनात किए जाने की पहले ही सिफारिश कर दी है। कुछ राज्यों द्वारा इस संबंध में भी प्रश्न उठाया गया कि निजी प्रयोगशालाओं में नमूनों के परीक्षण का खर्च कौन उठाएगा।
- ✓ एफएसएसएआई नए अधिनियम के संबंध में जनता के दिमाग में उठने वाली शंकाओं के समाधान के लिए एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू करने पर विचार कर रहा है और इस संबंध में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से विचारों/सुझावों का सदैव स्वागत है।
- ✓ सीईओ ने लेबलिंग के संबंध में कोडेक्स(सीओडीईएक्स) की बैठक में हाल में की गई प्रतिभागिता के संबंध में अपना अनुभव साझा किया और उल्लेख किया कि चूंकि एफएसएसएआई राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क बिंदु है, एफएसएसएआई में कोडेक्स प्रकोष्ठ को सशक्त बनाने की जरूरत है और कुशल कार्यकरण के लिए प्रत्येक शैडो समिति में कम से कम एक रिसर्च एसोसिएट मौजूद होना चाहिए। कोडेक्स गतिविधियों के लिए राज्यों के बीच जागरूकता को भी प्रोत्साहित करना चाहिए।
- ✓ एफएसएसएआई स्टाफ की कमी की समस्या से भी जूझ रहा है क्योंकि मूल प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पदों की संख्या पर्याप्त नहीं है और अतिरिक्त पदों हेतु प्रस्ताव अतिशीघ्र प्रस्तुत करने की जरूरत है।

✓ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को अपने वेबसाइटों को नियमित रूप से अद्यतन करके सूचनाओं और सर्वोत्तम पद्धतियों को साझा करने पर विचार करना चाहिए। कुछ राज्य मिलावट की समस्या से निपटने में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जिसमें त्योहार की अवधियों में विशेष अभियान चलाना भी शामिल है। तथापि, उनकी गतिविधियों पर किसी का ध्यान नहीं जाता क्योंकि आंकड़ें ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है। अतः वेबसाइटों को नियमित अद्यतन किया जाना और सूचनाओं को साझा किया जाना (जिसमें मिलावट में संलिप्त कंपनियों के नाम भी शामिल हैं) काफी उपयोगी हो सकता है और इससे प्रणाली में पारदर्शिता भी आएगी।

कार्यसूची मद सं.1: दिनांक 22 फरवरी, 2011 को आयोजित सीएसी की तृतीय बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

समिति ने दिनांक 22 फरवरी, 2011 को आयोजित सीएसी की तृतीय बैठक के कार्यवृत्त की किसी समुक्ति के बिना पुष्टि की।

कार्यसूची मद सं. 2: दिनांक 05–05–2011 को एफएसएस नियमों की अधिसूचना के बाद पीएफए का एफएसएस अधिनियम में परिवर्तन के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा किए जाने वाले कार्य की समीक्षा

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने एफएसएस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए की जा चुकी कार्रवाई, कार्रवाई योजनाओं और संबंधित क्षेत्रों के संबंध में जानकारी दी।

उत्तर प्रदेश:

- प्रमुख कार्याधिकारियों के लिए अधिसूचनाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है। प्रारूप सेवा नियम अंतिम रूप से तैयार किया जा रहा है। एफएसएस नियमों में दी गई अपेक्षाओं के मद्देनजर अभिहित अधिकारियों की नियुक्ति में कुछ अपवाद और छूटों की आवश्यकता पड़ सकती है।
- स्टाफ, विशेषकर खाद्य विश्लेषक (राज्य में 5 प्रयोगशालाएं हैं और केवल 1 लोक विश्लेषक है) की कमी, घटिया कार्य गुणवत्ता, और वित्तीय सीमाओं के कारण खाद्य प्रयोगशालाएं चिंता के प्रमुख क्षेत्र है। खाद्य प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए परामर्श सेवाओं को लिया गया है, यद्यपि निजी प्रयोगशालाओं के उपयोग के विकल्प पर विचार किए जाने की जरूरत है।
- पिछले वर्ष लखनऊ में एफएसएसएआई द्वारा एफएसओ हेतु आयोजित टीओटी कार्यक्रम के बाद, आगे और प्रशिक्षण नहीं किया जा सका। प्रशिक्षुओं के पुनश्चर्या प्रशिक्षण को किए जाने की जरूरत है। इस पर अध्यक्ष ने अपनी सहमति दी।
- न्यायाधिकरण और विशेष न्यायालयों के संबंध में वार्ताएं सकारात्मक रही हैं।

गुजरातः

- यह राज्य एफएसएस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए तैयार है। यहां 3 निगम प्रयोगशालाएं, राज्य सरकार की 3 प्रयोगशालाएं और 3 निजी प्रयोगशालाएं है। किंतु उन्हें एनएबीएल प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए समुचित समय देना होगा।
- एफएसओ और लोक अभियोजकों के प्रशिक्षण पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं।
- राज्य सरकार ने अतिरिक्त 25 एफएसओ पद, 7 वाहन, 1 मोबाइल प्रयोगशाला, 1 मोबाइल प्रदर्शनी वैन और एनएबीएल प्रत्यायन प..ाने के लिए प्रयोगशालाओं हेतु अनुदान और प्राथमिक परीक्षण किट स्वीकृत किया है।

नागालैंडः

- राज्य में केवल 5 खाद्य निरीक्षक हैं और एक भी लोक विश्लेषक नहीं है। हाल ही में, जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को अभिहित अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम बहुत ही प्रारंभिक चरण में है और इसके लिए अत्यधिक जागरूकता कार्यों की जरूरत होगी।

बिहारः

- अभी तक राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त की नियुक्ति नहीं की गई है।
- कुल 24 खाद्य निरीक्षक हैं जिनमें से 3 ने टीओटी कार्यक्रम किया है। केवल 1 लोक विश्लेषक है और वह भी संविदा आधार पर है। खाद्य प्रयोगशालाएं मानदंड को पूरा नहीं करती और इनके उन्नयन के लिए बहुत कार्य किए जाने की आवश्यकता होगी।

तमिलनाडुः

- राज्य नए अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए लगभग तैयार है। एफएसओ, अभिहित अधिकारियों और न्यायनिर्णयन अधिकारी की अधिसूचना पर कार्य किया जा रहा है। प्रयोगशालाओं के उन्नयन का कार्य एनआरएचएम निधियों की मदद से किया जा रहा है। एफएसओ का प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है।

आंध्र प्रदेशः

- एफएसओ, डीओ और न्यायनिर्णयन अधिकारियों हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के पास है। सहायक खाद्य नियंत्रकों को अभिहित अधिकारियों के रूप में अधिसूचित किया जा रहा है। डीओ के 13 और एफएसओ के 145 अतिरिक्त पदों हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।
- राज्य सरकार ने प्रयोगशाला के उन्नयन के लिए क्यूसीआई की मदद ली है और अब एनएबीएल प्रत्यायन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। विशाखापत्तनम और गुंटूर में दो और प्रयोगशालाओं पर

विचार किया जा रहा है और संविदा पर स्टाफ भर्ती किए जा रहे हैं। 7–8 लोक विश्लेषक उपलब्ध हैं।

- एफएसओ का प्रशिक्षण पूरा हो गया है और स्व–सहायता समूहों को भी प्रशिक्षित किया गया है।

दमन एवं दीव:

- खाद्य सुरक्षा आयुक्त, अभिहित अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अधिसूचित किया गया है और न्यायनिर्णयन अधिकारियों की अधिसूचना प्रक्रियाधीन है।
- प्रशिक्षण के लिए महाराष्ट्र और गुजरात की सहायता ली जा रही है और बड़ौदा प्रयोगशाला विश्लेषण के लिए अधिसूचित की जा रही है।

मणिपुर:

- खाद्य सुरक्षा आयुक्त को अधिसूचित किया गया है। अपर उपायुक्त को न्यायनिर्णयन अधिकारी बनाने पर विचार किया जा रहा है जबकि पीएफए के अधीन स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी के रूप में कार्यरत मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अभिहित अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। एफएसओ के 9 पद सृजित किए जा रहे हैं।

त्रिपुरा:

- खाद्य सुरक्षा आयुक्त, अभिहित अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को नियुक्त किया गया है और अधिसूचित किया गया है जबकि न्यायनिर्णयन अधिकारी की अधिसूचना का कार्य राज्य सरकार के पास है।
- एक प्रयोगशाला है जिसमें हाल में लोक विश्लेषक ने कार्यभार संभाला है। प्रयोगशाला के उन्नयन के लिए एमएफपीआई से निधियां प्राप्त हुई हैं और इसे गैप विश्लेषण के अनुसार किया जा रहा है। परामर्श के लिए क्यूसीआई से अनुरोध किया गया है।
- प्रशिक्षण आयोजित करने की आवश्यकता है और संसाधन व्यक्तियों के संबंध में एफएसएसएआई से सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। इस पर अध्यक्ष ने सहमति दी।

उत्तराखंड:

- खाद्य सुरक्षा आयुक्त, अभिहित अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और न्यायनिर्णयन अधिकारी की अधिसूचना प्रक्रियाधीन है। राज्य में कोई प्रयोगशाला काम नहीं कर रही है और नमूनों को उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश भेजा जा रहा है।

कर्नाटक

- खाद्य सुरक्षा आयुक्त को नियुक्त कर दिया गया है और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की अधिसूचना प्रक्रियाधीन है। अभिहित अधिकारियों की अधिसूचना अभी की जानी बाकी है।
- चार प्रयोगशालाएं हैं (1 राज्य और 3 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं) और एनएबीएल प्रत्यायन के लिए उन्नयन किया जा रहा है। 6 लोक विश्लेषकों को खाद्य विश्लेषकों के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।
- एफएसओ का प्रशिक्षण पूरा हो गया है और न्यायनिर्णयन अधिकारी की अधिसूचना जल्दी ही जारी की जाएगी।

उड़ीसा:

- खाद्य सुरक्षा आयुक्त को नियुक्त किया गया है और अभिहित अधिकारियों और न्यायनिर्णयन अधिकारियों की अधिसूचना हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग के पास है।
- राज्य में केवल एक ही प्रयोगशाला है, कोई लोक विश्लेषक नहीं है और कोई निजी प्रयोगशाला नहीं है। गैप विश्लेषण किया गया है और उन्नयन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
- खाद्य निरीक्षक प्रशिक्षित नहीं हैं और प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाए जाने की जरूरत है।

छत्तीसगढ:

- खाद्य सुरक्षा आयुक्त और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अधिसूचित किया जा चुका है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को अभिहित अधिकारियों के रूप में अधिसूचित किया गया है, परंतु वे पूर्णकालिक अधिकारी नहीं है।
- सेवानिवृत्त लोक विश्लेषकों की सहायता ली जा रही है और उन्हें खाद्य विश्लेषक के रूप में अधिसूचित किया जा रहा है। एनआरएचएम की निधियों की मदद से प्रयोगशालाओं के उन्नयन का कार्य किया जा रहा है।
- राज्य सरकार ने खाद्य के लिए 30 पद स्वीकृत किए है जिसमें प्रयोगशाला और फील्ड स्टाफ शामिल हैं।

चंडीगढ़:

- खाद्य सुरक्षा आयुक्त नियुक्त किया गया है, स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी को अभिहित अधिकारियों के रूप में अधिसूचित किया गया है और खाद्य निरीक्षकों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। एफएसओ का प्रशिक्षण पूरा हो गया है।
- कोई प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं है और नमूने पंजाब और हरियाणा भेजे जा रहे हैं।
- उपायुक्तों को न्यायनिर्णयन अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जा रहा है और अपीलीय न्यायाधिकरण की अधिसूचना जारी कर दी गई है।

पंजाब:

- खाद्य सुरक्षा आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, 22 खाद्य निरीक्षकों को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के रूप में अधिसूचित किया जा रहा है, खाद्य निरीक्षकों के 27 पद सृजित किए गए है और नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। 18 खाद्य निरीक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है और आगे भी प्रशिक्षण दिया जाना है।
- प्रयोगशालाओं के उन्न्यन का कार्य किया जा रहा है।

हरियाणा:

- खाद्य सुरक्षा आयुक्त नियुक्त किए गए हैं और राज्य प्रत्येक जिले में एफएसओ को छोड़कर इस नए अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए लगभग तैयार है। हाल में, राज्य में एक खाद्य और औषध प्रशासन विभाग स्थापित किया गया है। प्रयोगशालाओं के लिए बजट आबंटित किया गया है और राज्य सरकार ऑनलाइन लाइसेंसिंग प्रणाली के लिए इलेक्ट्रानिक विकास निगम के साथ कार्य कर रही है।

मध्य प्रदेश:

- राज्य कार्यान्वयन के लिए तैयार है, यद्यपि पर्याप्त प्रयोगशाला अवसंरचना एक समस्या है। केवल 1 ही प्रयोगशाला है जो स्टाफ और अवसंरचनाओं की गंभीर रूप से कमी का सामना कर रही है। स्थानीय निकायों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर एक लोक विश्लेषक को खाद्य विश्लेषक के रूप में अधिसूचित किया गया है।

दादर एवं नागर हवेली:

- खाद्य सुरक्षा आयुक्त अधिसूचित किया गया है और अभिहित अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की अधिसूचना प्रक्रियाधीन है।
- प्रशिक्षण के लिए गुजरात से मदद ली जा रही है और नमूना विश्लेषण के लिए बड़ौदा प्रयोगशाला को अधिसूचित किया गया है।

हिमाचल प्रदेश:

- अधिकतर संरचना मौजूद है और खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं अन्य कार्याधिकारियों की अधिसूचना अगले माह पूरी हो जाएगी। अपीलीय न्यायाधिकरण हेतु प्रस्ताव विधि विभाग के पास है।

- एफएसओ का प्रशिक्षण पूरा हो गया है, किंतु अभिहित अधिकारियों, न्यायनिर्णयन अधिकारियों और लोक अभियोजकों का प्रशिक्षण अभी कराया जाना है। खाद्य सुरक्षा के संबंध में तृणमूल स्तर पर जागरूकता के लिए बहुत से कार्य किये जाने हैं।
- केवल 1 ही प्रयोगशाला है जो स्टाफ की कमी से जूझ रही है। उन्नयन कार्य किया जा रहा है।

राजस्थान:

- जन स्वास्थ्य निदेशक को खाद्य सुरक्षा आयुक्त के रूप में और जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को अभिहित अधिकारियों के रूप में अधिसूचित किया गया है। न्यायनिर्णयन अधिकारियों को जल्दी ही अधिसूचित किया जाना है।
- राज्य में खाद्य निरीक्षकों के 134 स्वीकृत पद हैं जिसमें से 82 भरे हुए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की अधिसूचना प्रक्रियाधीन है।
- 6 पीएफए प्रयोगशालाएं हैं और 7 लोक विश्लेषक हैं तथा प्रयोगशालाओं का उन्नयन जल्दी ही शुरू किया जाएगा।

पुडुचेरी:

- खाद्य सुरक्षा आयुक्त, अभिहित अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को अधिसूचित किया गया है।
- केवल 1 प्रयोगशाला है और यह स्टाफ की कमी से जूझ रही है। कोई भी खाद्य विश्लेषक नहीं है और प्रयोगशाला का उन्नयन प्रक्रियाधीन है।

केरल:

- खाद्य सुरक्षा आयुक्त अधिसूचित किया गया है और आयुक्त कार्यालय कार्यान्वयन हेतु विस्तृत प्रशासनिक संरचना रखता है। जिला खाद्य निरीक्षकों को अभिहित अधिकारी और खाद्य निरीक्षकों को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के रूप में अधिसूचित किया गया है। डीओ और एफएसओ का प्रथम स्तर का प्रशिक्षण पूरा हो गया है।□
- 3 प्रयोगशालाओं में से 2 एनएबीएल प्रत्यायन हेतु आकलन के अंतिम चरण में हैं।

दिल्ली:

- खाद्य सुरक्षा आयुक्त अधिसूचित किया जा चुका है और न्यायनिर्णयन अधिकारी की अधिसूचना जल्दी ही जारी की जानी है।
- एफबीओ की लाइसेंसिंग और पंजीकरण दिल्ली के लिए एक नई प्रणाली होगी और यह सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम प्रणाली के बिना कार्य नहीं कर पाएगी। नगर निगम में उपयोग किए जाने वाले

सॉफ्टवेयर को पंजीकरण के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। इसके अलावा, लाइसेंसिंग से पहले भौतिक निरीक्षण संभव नहीं हो सकेगा और मान्यताप्राप्त निरीक्षण निकायों की मदद की आवश्यकता होगी।

- एनएबीएल प्रत्यायन हेतु प्रयोगशाला का उन्नयन प्रक्रियाधीन है।

महाराष्ट्रः

- खाद्य सुरक्षा आयुक्त अधिसूचित किया जा चुका है और राज्य कार्यान्वयन के लिए लगभग तैयार है। यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन अकादमी (यशदा) का न्यायनिर्णयन अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए उपयोग हो रहा है। प्रशिक्षण का अगला बैच जून, 2011 में प्रारंभ होगा और अन्य राज्य इसमें शामिल हो सकते हैं अथवा कार्यक्रम के लिए अपने अधिकारियों को भेज सकते हैं।
- एफडीए के अंतर्गत महाराष्ट्र में दो प्रयोगशालाएं हैं और ये सीमित स्टाफ की समस्या से जूझ रही हैं क्योंकि इनमें एक भी लोक विश्लेषक नहीं है। औरंगाबाद प्रयोगशाला एक किराये के भवन में चल रही है और इसमें अपर्याप्त अवसंरचना है। यह सुझाव दिया गया कि खाद्य प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए योजना के अधीन निधियों हेतु एमएफपीआई से संपर्क किया जा सकता है।

मेघालयः

- खाद्य सुरक्षा आयुक्त को अधिसूचित किया गया है और सहायक खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को अभिहित अधिकारियों के रूप में, जिला खाद्य निरीक्षकों को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के रूप में, जिला एडीएम को न्यायनिर्णयन अधिकारी के रूप में और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपीलीय न्यायाधिकरण हेतु पीठासीन अधिकारी के रूप में अधिसूचित करने पर विचार किया जा रहा है।
- लोक विश्लेषक को प्रतिनियुक्ति के आधार पर रखने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

असमः

- खाद्य सुरक्षा आयुक्त नियुक्त किया गया है, स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी को अभिहित अधिकारी के रूप में और खाद्य निरीक्षकों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है। न्यायनिर्णयन अधिकारी और विशेष न्यायालयों के संबंध में अधिसूचना जल्दी ही जारी की जाएगी। एफएसओ और डीओ के प्रशिक्षण किए गए हैं।
- राज्य प्रयोगशाला पर विश्लेषण कार्य का भारी बोझ है क्योंकि पड़ोसी राज्यों के पास अपनी प्रयोगशालाएं नहीं हैं।

जम्मू और कश्मीरः

- खाद्य सुरक्षा आयुक्त नियुक्त किया गया है, सहायक नियंत्रक (खाद्य) को अभिहित अधिकारी के रूप में और खाद्य निरीक्षकों को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के रूप में अधिसूचित किया गया है। एफएसओ और डीओ हेतु प्रशिक्षण पूरा हो गया है।
- जम्मू और श्रीनगर में दो प्रयोगशालाएं हैं और इनके उन्नयन के लिए एनआरएचएम के अंतर्गत 5 लाख रूपये प्रति प्रयोगशाला की सहायता प्रदान की गई है। किंतु एनएबीएल प्रत्यायन संभव नहीं होने की आशंका है।
- न्यायनिर्णयन अधिकारी के रूप में एडीसी की अधिसूचना हेतु प्रस्ताव विधि विभाग के पास है और राज्य सरकार पृथक खाद्य सुरक्षा अपील न्यायाधिकरण के लिए सहमत नहीं हुई है।

झारखंडः

- झारखंड के प्रतिनिधि ने पहली बार सीएसी बैठक में भाग लिया और सूचित किया कि राज्य ने खाद्य सुरक्षा आयुक्त की अधिसूचना जारी करने का पहला कदम भी नहीं उठाया है।

पश्चिम बंगालः

- खाद्य सुरक्षा आयुक्त नियुक्त किया गया है और अन्य कार्याधिकारियों की अधिसूचना हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है। अधिनियम के सुचारू कार्यान्वयन हेतु जांच–सूची के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

एफएसएस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों संघ राज्यक्षेत्रों की तैयारी पर चर्चा के दौरान निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं पर विचार–विमर्श किया गयाः

- नए अधिनियम में खाद्य विनियामकों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यह सुझाव दिया गया कि एफएसएसएआई को खाद्य सुरक्षा से संबंधित चालू प्रशिक्षण आवश्यकताओं को सहयोग देने के लिए एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने पर विचार करना चाहिए। एफएसएसएआई को अपनी लागत पर संसाधन व्यक्तियों को भेजकर प्रमुख कार्याधिकारियों हेतु उनके राज्यों में द्वितीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, जहां कही आवश्यकता हो, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को सहयोग करने पर विचार करना चाहिए। कुछ राज्यों में अच्छी प्रशिक्षण अवसंरचना है और ऐसे संस्थानों का खाद्य सुरक्षा के प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में उपयोग करने की संभावना तलाश की जा सकती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने सुझाव दिया कि देश में प्रशिक्षण संस्थाओं की पहचान करने के लिए एक समूह का गठन किया जा सकता है।

- यह पता चला कि घटिया प्रयोगशालागत अवसंरचना और लोक विश्लेषकों की कमी इस अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु एक प्रमुख चिंता और चुनौती होगी और निम्नलिखित सुझाव दिए गए:
  - ✓ लोक विश्लेषकों हेतु क्षमता निर्माण के लिए स्थायी नीति और प्रणाली मौजूद होनी चाहिए। एनएबीएल लोक विश्लेषकों हेतु एक प्रशिक्षण संस्थान शुरू कर रहा है। एफएसएसएआई को एक पूर्ण कालिक प्रशिक्षण संस्थान चालू करने पर विचार करना चाहिए।
  - ✓ देश में लोक विश्लेषकों की कमी, उसके कारणों, पद के आकर्षक नहीं समझे जाने के कारणों की समीक्षा तथा इस स्थिति को संभालने के लिए संभावित व्यावहारिक उपायों के लिए एक समिति गठित की जा सकती है। सेवानिवृत्त लोक विश्लेषक की सेवाएं लेने के विकल्प पर भी समिति द्वारा विचार किया जा सकता है।
  - ✓ एफएसएसएआई एक कार्यशाला आयोजित कर सकती है जिसमें लोक विश्लेषकों के पद हेतु संभावित उम्मीदवारों को लोक विश्लेषक परीक्षा में सफलता दर को बढ़ाने के लिए कोचिंग दी जा सकती है।
  - ✓ निजी खाद्य प्रयोगशालाओं की सहायता से लोक विश्लेषकों की क्षमता निर्माण पर विचार किया जा सकता है, जैसे विमता प्रति माह 8 वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित कर रहा है। एमएफपीआई योजना के अंतर्गत सहायता–प्राप्त प्रयोगशालाएं लोक विश्लेषकों की क्षमता निर्माण का अधिदेश रख सकती हैं।
  - ✓ प्रयोगशालाओं को एनएबीएल प्रत्यायित करने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को केंद्रीय अनुदान/सहायता प्रदान की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, एफएसएस अधिनियम के कार्यान्वयन के साथ खाद्य प्रयोगशालाओं की बढ़ती आवश्यकता पर विचार करते हुए, एफएसएसएआई को राज्यों की सहभागिता से प्रत्येक जिले में खाद्य प्रयोगशालाएं स्थापित करने पर विचार करना चाहिए।
  - ✓ डीओएनईआर (डोनेर) अंतरराष्ट्रीय सीमाओं वाले पूर्वोत्तर राज्यों में प्रयोगशालाएं रखने में रूचि रखता है। पूर्वोत्तर राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं का उन्नयन करने अथवा उन्हें स्थापित करने के लिए निधियों हेतु डोनेर से संपर्क करने पर विचार कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, खाद्य प्रयोगशालाओं को स्थापित करने/उनका उन्नयन करने के लिए राज्य अपनी योजनाओं के तहत अनुदान/सहायता हेतु एमएफपीआई से संपर्क करने पर विचार कर सकते हैं।
- जो राज्य लाइसेंसिंग के लिए पहले से ही सॉफ्टवेयर पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें एफएसएसएआई से संपर्क साधना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एकसमान मॉड्यूल का विकास हो। एफएसएसएआई सॉफ्टवेयर तेजी से विकसित किए जाने हेतु निधियां प्रदान करने पर विचार कर सकता है। लाइसेंसिंग/पंजीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी

सॉफ्टवेयर के विकास के संबंध में एनआईसी के साथ मामले पर विचार करने और समीक्षा के लिए एक पैनल गठित किया जा सकता है जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, एमएसएमई, आईआईएम बंगलोर और एफआईसीसीआई (फिक्की) के प्रतिनिधि हों।

- देश में दुग्ध आपूर्ति की निगरानी के लिए एफएससी और डेयरी विकास विभागों के बीच समन्वय और सूचनाओं को साझा किए जाने हेतु तंत्र विकसित करने की जरूरत है। दुग्ध क्षेत्र के आकार के मद्देनजर, एमआईएस आधारित प्रणाली आंकड़ा संग्रहण हेतु विकल्प हो सकती है और ऐसी रिपोर्टों की बारम्बारता इसकी व्यवहार्यता को दिमाग में रखते हुए निर्धारित की जा सकती है। पशुपालन और डेयरी विभाग एफएसएस अधिनियम के अधीन उन विनियमों पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकता है जिनमें एमएमपीओ को एकीकृत किया गया है। एफएसएस अधिनियम का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा पर केन्द्रित है और इसलिए दुग्ध आपूर्ति की निगरानी का कार्य, जो पूर्व में एमएमपीओ का भाग था, पशुपालन और डेयरी विभाग को देखना होगा।
- यह सुझाव दिया गया कि एफएसएसएआई लंबित अधिसूचनाओं को त्वरित करने के लिए मुख्य सचिवों को एक और अनुस्मारक भेज सकता है।

कार्यसूची मद सं. 3: सूचना प्रदाता योजना

अध्यक्ष ने सदस्यों को खाद्य पदार्थों में मिलावट के संबंध में सूचना प्रदाता पुरस्कार योजना के उद्देश्य के बारे में बताया और उल्लेख किया कि एक सूचना प्रदाता पुरस्कार योजना केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन में वर्तमान में मौजूद है। सदस्यों ने इस विचार की सराहना की और सुझाव दिया कि सूचना प्रदाता पुरस्कार योजना का प्रारूप तैयार करते समय, एफएसएसएआई निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कर सकता है:

- खाद्य और दवा उद्योग स्वरूप में बिल्कुल भिन्न हैं क्योंकि अधिकतर खाद्य उद्योग असंगठित है और इसमें न केवल बड़ी खाद्य स्थापनाएं बल्कि सड़क के खाद्य विक्रेता, ढाबा इत्यादि भी शामिल हैं। उद्योगों को उनके स्वरूप के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाना चाहिए और तदनुसार जोखिम और प्रोत्साहन की संभावना निर्धारित किए जाने की जरूरत है।
- व्यापक दुरुपयोग रोकने के लिए सामान्य शिकायतों और सूचना प्रदाता के बीच विभेदक रेखा खींचनी होगी अन्यथा इससे शिकायतों के ढेर लगेंगे और उद्देश्य से भटकाव हो जाएगा। यह योजना वास्तविक परिणाम पर आधारित होनी चाहिए।
- असद्भावी सूचनाओं/शिकायतों हेतु हतोत्साहित करने का प्रावधान।
- संगठन के भीतर के लोगों को पुरस्कृत करना।
- कार्रवाई योग्य और गैर–कार्रवाई योग्य मामले को समझने के लिए सभी प्रदत्त सूचनाओं की प्रारंभिक जांच को अनिवार्य बनाना।

- ❖ पुरस्कार को जब्त खाद्य सामग्रियों के मूल्य के बजाय उपभोक्ताओं को होनेवाले जोखिम की संभाव्यता और गंभीरता से जोड़ना। मुकदमे से जोड़ना संभवतः कार्य नहीं करेगा।

कार्यसूची मद सं. 4: राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के लिए सूचना अद्यतन प्रणाली

सदस्यों ने सूचना अद्यतन के लिए एफएसएसएआई द्वारा विकसित प्रणाली पर ध्यान दिया और इस पहल का स्वागत किया। खाद्य सुरक्षा आयुक्तों से साप्ताहिक आधार पर सूचना को अद्यतन करने का अनुरोध किया गया है।

कार्यसूची मद सं. 5: (1) अनुसंधान एवं विकास (2) खाद्य सुरक्षा केन्द्रों की स्थापना और (3)उत्कृष्टता केन्द्रों को खोलने के संबंध में योजना।

अध्यक्ष ने संक्षेप में इस योजना के उद्देश्यों की व्याख्या की और राज्यों से खाद्य सुरक्षा के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर अनुसंधान परियोजनाओं पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया। खाद्य सुरक्षा केन्द्रों संबंधी योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थाओं का भी विकास किया जा सकता है। सदस्यों ने इन विचारों की सराहना की और इन पहलों पर आगे कार्रवाई करने के लिए सीईओ, एफएसएसएआई को प्राधिकृत किया।

कार्यसूची मद सं. 6: ऑनलाइन लाइसेंसिंग पंजीकरण प्रणाली के लिए राज्यों की तैयारी

इस पर सहमति थी कि कार्यसूची मद सं. 2 के अंतर्गत इस विषय पर पहले ही चर्चा हो चुकी है और जो राज्य लाइसेंसिंग के सॉफ्टवेयर पर पहले से ही कार्य कर रहे हैं, वे एफएसएसएआई से विचार–विनिमय कर सकते हैं ताकि एकसमान मॉड्यूल का विकास सुनिश्चित हो सके। लाइसेंसिंग/पंजीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के विकास के संबंध में एनआईसी के साथ मामले पर विचार करने और समीक्षा के लिए एक पैनल गठित किया जा सकता है जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, एमएसएमई, आईआईएम बंगलोर और एफआईसीसीआई (फिक्की) के प्रतिनिधि हों।

कार्यसूची मद सं. 7: एफएसएस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए निधियों की आवश्यकताएं

सीईओ, एफएसएसएआई ने उल्लेख किया कि इस बात के मद्देनजर कि औषधि और खाद्य विनियम संबंधी कार्य–समूह योजना आयोग द्वारा गठित किया गया है और एफएसएस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु निधि आवश्यकताओं का आकलन किया जा रहा है, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश भी अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए पुष्टियों के साथ निधि आवश्यकताओं के आकलन (गतिविधि–वार) के लिए कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। प्रत्येक राज्य को अपनी योजना में खाद्य सुरक्षा घटक भी बनाने चाहिए। सभी राज्य प्रतिनिधियों की ओर से यह भारी मांग रही है कि राज्य को विभिन्न

सीमाओं के कारण अधिनियम के कार्यान्वयन में बहुत कठिनाई पेश आएगी और एफएसएसएआई को प्रणाली को स्थापित करने के लिए अवसंरचना और श्रमशक्ति संबंधी संसाधन की दृष्टि से कम से कम 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों को केंद्रीय सहायता देने पर विचार करना चाहिए। चर्चा के दौरान निम्नलिखित सुझाव दिए गए–

- ❖ नई खाद्य प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए और विद्यमान प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए एफएसएसएआई को एककालिक प्रावधान के रूप में केन्द्र से निधियन करना चाहिए जिससे राज्यों से नियंत्रित निधियन (लिवरिज फंडिंग) हो पाएगा।
- ❖ एफएसएसएआई एनएबीएल प्रमाणन और परामर्श लागत के लिए राज्यों से एककालिक सहायता लेने पर विचार कर सकता है।
- ❖ नए सांविधिक कार्याधिकारियों जैसे खाद्य सुरक्षा आयुक्त, अभिहित अधिकारी, न्यायनिर्णयन अधिकारी, न्यायाधिकरणों, जिला प्रयोगशालाओं, चल प्रयोगशालाओं इत्यादि के लिए कार्यालय स्थापित करने हेतु और निरीक्षण और नमूनों के संग्रहण के लिए वाहन खरीदने हेतु अनुदान/सहायता।
- ❖ राज्यों में जागरूकता सृजन, आईईसी गतिविधियों, ई–शासन, निगरानी, द्रुत सजगता प्रणाली या आपातकालीन प्रतिक्रिया केन्द्रों, अनुसंधान गतिविधियों, राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान, विभिन्न सीएफएल का उन्नयन और खाद्य सुरक्षा संबंधी अत्याधुनिक शोध संस्था हेतु निधियन को योजना में शामिल करना चाहिए।

कार्यसूची मद सं. 8: अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य मद

- एक सुझाव था कि एफएसएसएआई खाद्य सुरक्षा संबंधी आधारभूत आंकड़े प्राप्त करने के लिए बाजार प्रवृत्ति सर्वेक्षण करवाने पर विचार कर सकता है।
- विनियमों की व्याख्या के लिए दिशानिर्देश दस्तावेज विकसित किए जाने की जरूरत है।
- उद्योग देश में प्रयोगशाला आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए आगे आ सकते हैं और खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए देश में पैथोलॉजि प्रयोगशालाओं की तरह खाद्य प्रयोगशाला का एक नेटवर्क रखने हेतु एक वाणिज्यिक मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं।
- पीएफए के अंतर्गत भारी संख्या में मामलों के लंबन की समस्या के संबंध में, यह सुझाव दिया गया कि विधिक विशेषज्ञों के परामर्श से मामले की इस दृष्टि से जांच की जा सकती है कि क्या गलत ब्रैंडिंग संबंधी धाराओं के अंतर्गत आने वाले मामलों अथवा कम गंभीर अपराधों को लोक अदालतों के तंत्र के माध्यम से निपटाया जा सकता है यदि संबंधित राज्य सरकार और उच्च न्यायालय इसके लिए सहमत हो।
- मणिपुर, लक्षद्वीप और मध्य प्रदेश को पीएफए कार्यान्वयन के संबंध में वर्ष 2009 की रिपोर्ट पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। पीएफए कार्यान्वयन के संबंध में आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा,

हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की वर्ष 2010 की रिपोर्ट प्रतीक्षित है और इन्हें शीघ्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

सीएसी की चतुर्थ बैठक से प्राप्त कार्रवाई योग्य बिंदुः बैठक के दौरान हुई चर्चा के आधार पर निम्नलिखित कार्रवाई योग्य बिंदु सामने आए–

1. राज्य 'खाद्य सुरक्षा संबंधी आर्थिक हानियों' संबंधी परियोजना शुरू करने पर विचार कर सकते हैं ताकि खाद्य सुरक्षा का महत्व और यह किस प्रकार जीडीपी में योगदान देती है, इसकी सभी के द्वारा सराहना की जा सके।
2. एफएसएसएआई में कोडेक्स प्रकोष्ठ को सशक्त बनाना।
3. केंद्रीय स्तर पर एफएसएसएआई को अवसंरचना एवं संसाधनों की दृष्टि से सशक्त बनाना और केंद्रीय एफएसएसएआई में अतिरिक्त पदों हेतु प्रस्ताव अतिशीघ्र सरकार को प्रस्तुत करना चाहिए।
4. देश में ऐसी प्रशिक्षण संस्थाओं की पहचान करने के लिए एक समूह का गठन किया जा सकता है जिनका खाद्य सुरक्षा हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में उपयोग किया जा सके।
5. एफएसएसएआई द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना
6. देश में लोक विश्लेषकों की कमी, इसके कारणों की समीक्षा करने और इस स्थिति को संभालने के लिए संभावित व्यावहारिक उपायों हेतु एक समिति का गठन
7. एफएसएसएआई को लोक विश्लेषक परीक्षा देने के लिए लोक विश्लेषक पद के संभावित उम्मीदवारों को कोचिंग देने हेतु एक कार्यशाला आयोजित करनी चाहिए।
8. लाइसेंसिंग पंजीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के विकास के संबंध में एनआईसी के साथ मामले पर विचार करने और समीक्षा के लिए एक पैनल गठित किया जा सकता है जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश, एमएसएमई, आईआईएम बंगलोर और एफआईसीसीआई (फिक्की) के प्रतिनिधि हों।
9. एफआईसीसीआई सभी राज्यों से लिखित में कह सकती है कि वे खाद्य सुरक्षा अपील न्यायाधिकरण के संबंध में अपने राज्यों में सभी सांविधिक अधिकारियों की तथा जम्मू और कश्मीर में मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) की अधिसूचना शीघ्र जारी करें।
10. कम गंभीर स्वरूप के लम्बे समय से लंबित मामलों को निपटाने के लिए लोक अदालतों के गठन की व्यवहार्यता की जांच की जा सकती है। यदि संबंधित राज्य सरकार और उच्च न्यायालय इसके लिए सहमत हो, तो गलत ब्रैंडिंग संबंधी धाराओं अथवा कम गंभीर अपराधों के अंतर्गत आने वाले लंबित पीएफए मामलों को लोक अदालतों के तंत्र के माध्यम से निपटाया जा सकता है।

11. एफआईसीसीआई को यह सुनिश्चित करने के लिए कि अवसंरचना और संसाधनों, शीर्षस्थ शोध संस्था रखने एवं सीएफएल के उन्नयन, राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थान, जागरूकता सृजन एवं आईईसी गतिविधियां करने, निगरानी और ई–शासन नेटवर्क की दृष्टि से तथा अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावित नियामक कार्याधिकारियों के कार्यालयों को सशक्त बनाने के लिए और जिला स्तर पर चल प्रयोगशालाओं समेत प्रयोगशाला अवसंरचना, जागरूकता एवं प्रशिक्षण गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों को सहयोग देने के लिए भी केंद्रीय स्तर पर एफआईसीसीआई को सशक्त बनाने हेतु पर्याप्त निधियां उपलब्ध हों, एफएसएस अधिनियम के सुचारू कार्यान्वयन हेतु 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में एक सशक्त योजना बनानी चाहिए।
12. अधिकतर राज्यों ने एफएसएस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जांचसूची में सूचनाएं प्रदान नहीं की हैं। इसे शीघ्रतम प्रदान किया जाए। इसके अतिरिक्त सूचनाओं को पाक्षिक आधार पर एफआईसीसीआई द्वारा विकसित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रणाली में भी अद्यतन करना चाहिए।

बैठक सभी को धन्यवाद देते हुए समाप्त हुई।

.....

अनुलग्नक–1

दिनांक 24 मई, 2011 को 11 बजे होटल एट्रियम, फरीदाबाद, हरियाणा में आयोजित एफएसएसएआई की केंद्रीय सलाहकार समिति की चतुर्थ बैठक के दौरान निम्नलिखित उपस्थित थे।

1. श्री वी.एन. गौड़, अध्यक्ष सीएसी और सीईओ, एफएसएसएआई
2. श्री के. सुब्रमण्यम, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, छत्तीसगढ़
3. श्री धर्मेन्द्र प्रकाश, संयुक्त विकास आयुक्त, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. श्री आर.एफ. लोथा, अपर आयुक्त, एफडीए, नागालैंड
5. श्री एस.एन. संगमा, उप खाद्य सुरक्षा आयुक्त, मेघालय
6. डा. एस.पी. वसिरेड्डी, सीएमडी, विमता लैब लिमिटेड, हैदराबाद
7. श्री ताकेहम ब्रोजेन्द्रो खाबा, उप खाद्य सुरक्षा आयुक्त, मणिपुर
8. श्रीमती राधा चौहान, आयुक्त, एफडीए, उत्तर प्रदेश
9. डा. टी.पी. बर्नविज, मुख्य निदेशक सह खाद्य नियंत्रक, झारखंड
10. डा. सुमेधा आर. देसाई, निदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवा, कर्णाटक
11. श्री पी.के. दास, आयुक्त, एफडीए, हरियाणा
12. श्री जे.पी. बोरा, लोक विश्लेषक, असम
13. श्री सौरभ जैन, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, केरल
14. श्री सतीश गुप्ता, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, जम्मू और कश्मीर
15. डा. चंदर मोहन, निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, चंडीगढ़
16. श्री के.एस. सिंह, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, दिल्ली
17. श्री शिव नारायण साहू, संयुक्त खाद्य नियंत्रक, बिहार
18. डा. एस.के. पॉल, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह
19. डा. बी.एल. शर्मा, संयुक्त निदेशक, राजस्थान
20. श्री समीर बर्डे, फिक्की, नई दिल्ली
21. श्री राजीव यदुवंशी, सचिव (स्वास्थ्य), पुडुचेरी
22. श्रीमती सीमा व्यास, आयुक्त एफडीए, महाराष्ट्र
23. डा. के. सदासिवम, संयुक्त निदेशक, डीपीएचए एवं पीएम कार्यालय, चेन्नै
24. डा.आर.के.धर, निदेशक (एफडब्ल्यू एवं पीएम), त्रिपुरा
25. श्री डी.आर.चान, उपायुक्त,एफडीसीए, गुजरात
26. डा. के.वाई. सुल्तान, निदेशकधमिशन निदेशक, दमण एवं दीव
27. डा. एल.एन.पाटक, निदेशक (स्वास्थ्य), दादरा एवं नागर हवेली

28. डा. भारत किशन, अपर निदेशक, स्वास्थ्य, उत्तराखंड
29. श्री गोपाल नाईक, प्रोफेसर, आईआईएम, बंगलोर
30. श्री बी.सी.जोशी, उपायुक्त, खाद्य एवं लोक वितरण विभाग, नई दिल्ली
31. डा. जे.पी.सिंह, निदेशक, स्वास्थ्य सेवा, पंजाब
32. श्री एच.जी.कोशिया, उपायुक्त, एफडीसीए, गुजरात
33. डा. कुल भूषण सूद, उपनिदेशक (स्वास्थ्य), हिमाचल प्रदेश
34. श्रीमती सुभा मुखर्जी, सहायक आयुक्त, पश्चिम बंगाल
35. डा. (श्रीमती) पी. सुचित्रामूर्ति, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, आंध्र प्रदेश
36. श्री संजीव रंजन, संयुक्त सचिव, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग, नई दिल्ली
37. डा. यू.के.साहू, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, उड़ीसा

* यह नोट किया जा सकता है कि प्रतिभागियों के नाम उपस्थिति सूची में दर्ज क्रम में व्यवस्थित किए गए है और इनमें वरिष्ठता क्रम का अनुसरण नहीं किया गया है। नाम की वर्तनी में यदि कोई भूल है, तो उसके लिए खेद है।